

# राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 7)

जयपुर, मई 3, 2005

राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी, राजवित्तीय स्थिरता में संगत, विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में और पारदर्शिता तथा मध्यमकालिक राजवित्तीय रूपरेखा में राजवित्तीय नीति का संचालन करके राजवित्तीय प्रबंधन और राजवित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने का और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.**— (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 है।
  - (2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।
  - (3) यह ऐसी तारीख<sup>1</sup> से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।
2. **परिभाषाएं.**— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
  - (क) “वार्षिक बजट” से राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन रखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण अभिप्रेत है;
  - (ख) “संचित निधि” से, राजस्थान सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राज हुंडियां निर्गमित करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिये गये सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों को समाविष्ट करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) में यथा-परिभाषित निधि अभिप्रेत है;
  - (ग) “चालू वर्ष” से ऐसे वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष अभिप्रेत है जिसके वार्षिक बजट, मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण और राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण पेश किये जा रहे हैं;
  - (घ) “आगामी वर्ष” से ऐसा वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है जिसका बजट पेश किया जा रहा है;

<sup>1</sup> 3 मई, 2005, राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) अधिसूचना संख्या पं.7(1ए) वित्त-1(1) आय-व्ययक/2004 एस.ओ. 63 दिनांक 26 मई, 2005 द्वारा

- (ड) “वित्तीय वर्ष” से 01 अप्रैल को प्रारम्भ होने वाला और ठीक आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;
- (च) “राजवित्तीय घाटा” से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की संचित निधि से, (ऋण के प्रतिसंदाय को अपवर्जित करते हुए) निधि में राजस्व प्राप्तियों, ऋणों की वसूली और ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियों की राशि से कुल संवितरण का आधिक्य अभिप्रेत है;
- (छ) “राजवित्तीय संकेतक” से ऐसे संकेतक अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार की राजवित्तीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए विहित किये जायें;
- (ज) “राजवित्तीय लक्ष्य” से राजवित्तीय संकेतकों के लिए या तो निरपेक्षतः (करोड़ रुपये में) या सकल राज्य देशी उत्पाद या अन्य पैमानों के अनुपात के रूप में विहित संख्यात्मक सीमाएं अभिप्रेत हैं;
- (झ) “प्रत्याभूति” से राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विशेष प्रयोजन उपकरणों द्वारा जिम्मे लिये गये (राज्य बीमा और भविष्य निधि के पेटे बकाया ऐसी प्रत्याभूतियों को छोड़कर जो कुल सुनिश्चित दायित्वों में सम्मिलित की जाती हैं) दायित्व अभिप्रेत हैं जहां सेवा और प्रतिसंदाय दायित्व प्राथमिक उधार लेने वाले द्वारा व्यतिक्रम की दशा में राज्य सरकार पर आ पड़ते हैं;
- (ञ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।
- (ट) “पब्लिक सेक्टर उपक्रम” से ऐसे उद्यम अभिप्रेत हैं जिनमें राजस्थान सरकार से पचास प्रतिशत से अधिक का साधारण अभिदाय हो, चाहे वह विभागीय हो या अविभागीय;
- <sup>2 3 4</sup> (टट) “राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि” से धारा 6क के अधीन सृजित निधि अभिप्रेत है;”
- (ठ) “रिजर्व बैंक” से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम सं. 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है;
- (ड) “राजस्व घाटा” से किसी वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की रकम का आधिक्य अभिप्रेत है;

<sup>2</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2007 का संख्यांक 4 की अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के द्वारा धारा 2 का खण्ड (टट) अन्तःस्थापित किया गया।

<sup>3</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2009 का संख्यांक 13 की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2009 के द्वारा धारा 2 का खण्ड (टट) हटाया गया।

<sup>4</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2014 का संख्यांक 14 की अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई, 2014 के द्वारा धारा 2 का खण्ड (टट) अन्तःस्थापित किया गया।

- (ढ) “विशेष प्रयोजन उपकरण” से उधारों के माध्यम से ऐसे विनिधानों के वित्तपोषण के लिए स्थापित उपकरण अभिप्रेत है जिनके लिए राजस्थान सरकार के वार्षिक बजट में उपबंध नहीं हो;
- (ण) “राज्य” से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;
- (त) “कुल दायित्व” से राज्य की संचित निधि और साधारण भविष्य निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अधीन सुनिश्चित दायित्व अभिप्रेत हैं।

### 3. राजवित्तीय, प्रबन्ध के उद्देश्य.— राज्य सरकार —

- (क) राजस्व घाटे को दूर करने के लिए समुचित उपाय करेगी और राजवित्तीय घाटे को सहनीय स्तरों पर बनाये रखेगी;
- (ख) लागत वसूली और साम्या का सम्यक् ध्यान रखते हुए गैर-कर राजस्व नीतियों का अनुसरण करेगी;
- (ग) पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के लिए मानक अधिकथित करेगी और ऐसी व्यय नीतियों का अनुसरण करेगी जिससे आर्थिक विकास, गरीबी कम करने और मानव कल्याण के सुधार को गति मिले।

### 4. राजवित्तीय प्रबन्ध सिद्धान्त.— राज्य सरकार निम्नलिखित राजवित्तीय प्रबन्ध सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी, अर्थात् :—

- (क) राजवित्तीय नीति उद्देश्य तय करने में, लोक नीति के क्रियान्वयन में और राज्य सरकार के लेखाओं के प्रकाशन में पारदर्शिता जिससे जनता को राजवित्तीय नीति के संचालन और लोक वित्त की स्थिति की संवीक्षा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके जैसा कि इस अधिनियम की धारा 7 में उपवर्णित है;
- (ख) युक्तियुक्त परिमाण तक स्थिरता और राजवित्तीय नीति-निर्माण प्रक्रिया में पूर्व सूचनीयता;
- (ग) लोक वित्त प्रबन्ध में उत्तरदायित्व।

### 5. राजवित्तीय नीति विवरणों का विधान—मण्डल के समक्ष रखा जाना.— (1) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट के साथ राजवित्तीय नीति के निम्नलिखित विवरण राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखेगी, अर्थात्:—

- (क) मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण; और
- (ख) राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण।

(2) मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में, अन्तर्निहित धारणाओं के स्पष्ट प्रतिपादन सहित राज्य सरकार के राजवित्तीय उद्देश्य और कार्यनीति संबंधी प्राथमिकताएं उपवर्णित होंगी।

(3) विशिष्टतया और उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में निम्नलिखित से संबंधित सहनीयता का निर्धारण सम्मिलित होगा :-

(क) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों के बीच संतुलन;

(ख) उत्पादक आस्तियों के जनन के लिए उधार सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग;

(ग) आगामी दस वर्षों के लिए जीवनांकिक आधार पर संगणित वार्षिक पेंशन दायित्व:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वित्तीय वर्षों की कालावधि के लिए पेंशन दायित्व, जीवनांकिक आधार पर संगणित करने के बजाय, वृद्धि दरों के रुख के आधार पर पूर्वानुमान लगाकर प्राक्कलित किये जा सकेंगे।

(4) राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा:-

(क) राजस्व प्राप्तियों, व्यय, उधार और प्रत्याभूतियों को सम्मिलित करते हुए अन्य दायित्वों, उधार देने और विनिधान, लोक माल/सेवाओं पर उपयोक्ता प्रभार और अन्य क्रियाकलापों जैसे पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की प्रत्याभूतियां और क्रियाकलाप, जिनकी संभावी बजटीय विवक्षाएं हैं, के वर्णन से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की राजवित्तीय नीतियां;

(ख) राजवित्तीय क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की कार्य-नीति संबंधी प्राथमिकताएं;

(ग) राजस्व प्राप्तियों, सहायिकी व्यय, प्रशासित मूल्य-निर्धारण, उधारों और प्रत्याभूतियों को सम्मिलित करते हुए अन्य दायित्वों से संबंधित राजवित्तीय उपायों में किसी मुख्य विचलन के लिए मुख्य राजवित्तीय उपाय और मूलाधार;

(घ) एक मूल्यांकन कि राज्य सरकार की चालू नीतियां धारा 4 में उपवर्णित राजवित्तीय प्रबन्ध सिद्धान्तों और मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति योजना में उपवर्णित राजवित्तीय उद्देश्यों के किस प्रकार अनुरूप हैं।

6. राजवित्तीय प्रबन्ध के लक्ष्य.— विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार—

<sup>5</sup>(क) वित्तीय वर्ष 2011—12 से शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त करेगी और तत्पश्चात् इसे बनाये रखेगी या राजस्व अधिशेष प्राप्त करेगी;

<sup>6</sup>(ख) वित्तीय वर्ष 2011—12 तक राजवित्तीय घाटे को सकल राज्य देशी उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लायेगी और तत्पश्चात् उक्त अनुपात को बनाये रखेगी या इसे कम करेगी;

<sup>7</sup> <sup>8</sup> <sup>9</sup>(ग) 1 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली छह वर्षों की कालावधि के भीतर अपने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के 38.2 प्रतिशत तक सीमित करेगी और तत्पश्चात् उक्त अनुपात को बनाये रखेगी या इसे कम करेगी;

(घ) राज्य अर्थव्यवस्था और सापेक्ष राजवित्तीय युक्ति के लिए संभाव्यताएं बताते हुए वार्षिक विवरण लाना सुनिश्चित करेगी;

(ङ) सरकार, पब्लिक सेक्टर और सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या और सापेक्ष वेतन का ब्यौरा देते हुए बजट के साथ विशेष विवरण लाना सुनिश्चित करेगी;<sup>10</sup>

<sup>11</sup>(च) यह सुनिश्चित करेगी कि 31.03.2017 को कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति वित्तीय वर्ष 2016—17 में राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और तत्पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूति उस वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

<sup>12</sup> परन्तु राजस्व घाटा और राजवित्तीय घाटा,—

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा या सूखा सहायता को सम्मिलित करते हुए प्राकृतिक आपदा या राज्य सरकार के नियंत्रण से परे की ऐसी अन्य आपवादिक परिस्थितियों से

<sup>5</sup> 2011 का अधिनियम संख्यांक 11 की अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2011 के द्वारा धारा 6 का खण्ड (क) प्रतिस्थापित किया गया। (तुरंत प्रवृत्त)

<sup>6</sup> 2011 का अधिनियम संख्यांक 11 की अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2011 के द्वारा धारा 6 का खण्ड (ख) प्रतिस्थापित किया गया। (तुरंत प्रवृत्त)

<sup>7</sup> 2011 का अधिनियम संख्यांक 18 की अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर, 2011 के द्वारा धारा 6 का खण्ड (ग) प्रतिस्थापित किया गया। (31.03.2011 से प्रवृत्त)

<sup>8</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2016 का संख्यांक 5 की अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल, 2016 के द्वारा धारा 6 का खण्ड (ग) प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>9</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2021 का संख्यांक 3 की अधिसूचना दिनांक 25 मार्च, 2021 के द्वारा धारा 6 का खण्ड (ग) प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>10</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2016 का संख्यांक 5 की अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल, 2016 के द्वारा विराम चिह्न प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>11</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2016 का संख्यांक 5 की अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल, 2016 के द्वारा धारा 6 का खण्ड (च) अन्तःस्थापित किया गया।

<sup>12</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2009 का संख्यांक 13 की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2009 के द्वारा धारा 6 का प्रथम परंतुक प्रतिस्थापित किया गया।

राज्य सरकार के वित्त पर उत्पन्न होने वाली अकल्पित मांगों के आधार या आधारों के कारण; या

(ख) विकास और अन्य अपरिहार्य व्यय के कारण; या

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उपदर्शित सीमाओं तक; या <sup>13</sup>

<sup>14</sup> (घ) भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 06/02/2015-एनईएफ/एफआरपी दिनांक 20 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रख्यापित उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना के अधीन ऊर्जा वितरण कम्पनियों के उधारों को टेकओवर करने और उन पर ब्याज के कारण; या<sup>15</sup>

<sup>16</sup>(ड.) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्दे अतिरिक्त उधार लेने की सीमा अनुज्ञात किये जाने के कारण; या<sup>17</sup>

<sup>18</sup>(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में निष्पादन मानदंडों के आधार पर 2021-22 से 2024-25 तक की कालावधि के लिए सकल राज्य देशी उत्पाद का 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने को अनुज्ञान किये जाने के कारण,

इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकेगा;

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में उल्लिखित आधारों के कारण होने वाले सीमाओं के आधिक्य को, उक्त आधारों पर व्यय के विस्तृत विवरण सहित, यथासंभव शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष स्पष्ट किया जायेगा।

<sup>19</sup> <sup>20</sup> <sup>21</sup> **6क. राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि.**— (1) राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि” (जिसे इसमें आगे निधि कहा गया है) के नाम से राज्य के लोक लेखा में सृजित एक निधि होगी।

<sup>22</sup>(2) किसी भी वर्ष में राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियां, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत से अधिक हों, और कोई भी अन्य राजस्व प्राप्तियां, जो राज्य सरकार उचित समझे, यदि राज्य विधान-मण्डल इस निमित्त विधि द्वारा विनियोग का उपबंध करे तो आगामी वर्ष में निधि में जमा की जावेंगी।

<sup>13</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2016 का संख्यांक 5 की अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल, 2016 के द्वारा विराम चिह्न प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>14</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2016 का संख्यांक 5 की अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल, 2016 के द्वारा धारा 6 में खण्ड (घ) अन्तःस्थापित किया गया।

<sup>15</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2021 का संख्यांक 3 की अधिसूचना दिनांक 25 मार्च, 2021 के द्वारा विराम चिह्न प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>16</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2021 का संख्यांक 3 की अधिसूचना दिनांक 25 मार्च, 2021 के द्वारा धारा 6 में खण्ड (ड.) जोड़ा गया।

<sup>17</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2021 का संख्यांक 13 की अधिसूचना दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के द्वारा धारा 6 में विराम चिह्न प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>18</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2021 का संख्यांक 13 की अधिसूचना दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के द्वारा धारा 6 में खण्ड (च) जोड़ा गया।

<sup>19</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2007 का संख्यांक 4 की अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के द्वारा धारा 6 क अन्तःस्थापित की गई।

<sup>20</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2009 का संख्यांक 13 की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2009 के द्वारा धारा 6 क हटाई गई।

<sup>21</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2014 का संख्यांक 14 की अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई, 2014 के द्वारा धारा 6 क अन्तःस्थापित की गई।

<sup>22</sup> राजस्थान वित्त अधिनियम 2016 का संख्यांक 5 की अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल, 2016 के द्वारा धारा 6 क की उप-धारा (2) को दिनांक 01.01.2015 से प्रतिस्थापित किया गया।

- (3) निधि, राज्य सरकार द्वारा केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में ली जा सकेगी:—
- (क) किसी वर्ष, जिसमें राज्य की कर प्राप्तियां, जिनमें स्वयं के कर और केन्द्रीय करों का हिस्सा समाविष्ट हो, पूर्ववर्ती वर्ष से 10 प्रतिशत कम प्राक्कलित की जाये, किसी राजस्व या पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए;
- (ख) विकास स्कीमों या गरीबी कम करने के कार्यक्रमों पर व्यय की पूर्ति के लिए।
- (4) निधि का उपयोग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा परिभाषित गैर-विकास या स्थापन व्यय की पूर्ति करने के लिए नहीं किया जायेगा”।

7. **राजवित्तीय पारदर्शिता के लिए उपाय.**— (1) राज्य सरकार, लोकहित में अपनी राजवित्तीय संक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वार्षिक बजट तैयार करने में गोपनीयता को यथासाध्य कम करने के लिए यथोचित उपाय करेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, एक विवरण में निम्नलिखित प्रकट करेगी:—

- (क) किसी परिवर्तन की दशा में, विहित राजवित्तीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित करने वाले या संभवतः प्रभावित करने वाले लेखा मानको, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त उधारों, अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्टों का ब्यौरा;
- (ग) आगामी दस वर्षों के लिए जीवनांकिक आधार पर संगणित प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वित्तीय वर्षों तक पेंशन दायित्व, जीवनांकिक आधार पर संगणित करने के बजाय, वृद्धि दरों के रुख के आधार पर पूर्वानुमान लगाकर प्राक्कलित किये जा सकेंगे।

8. **लोक व्यय पुनर्विलोकन समिति.**— इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, लोक व्यय पुनर्विलोकन समिति के नाम से एक समिति नियुक्त करेगी जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं होगी:—

- (क) समिति में वित्त, आर्थिक प्रबन्ध, योजना, प्रशासन, लेखा और संपरीक्षा और विधि के क्षेत्र में वृत्तिक विशेषज्ञता रखने वाले पांच से अनधिक सदस्य होंगे;

(ख) समिति के सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों, और समिति के कृत्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

9. **अनुपालन करवाने के लिए उपाय.**— (1) वार्षिक बजट और बजट के समय घोषित नीतियां आगामी और भावी वर्षों के लिए मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों से संगत होंगी।

(2) वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक छमाही पर बजट से संबंधित प्राप्तियों और व्यय के रूखों, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा। पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी जो विहित किया जाये और उसमें निम्नलिखित का स्पष्टीकरण होगा:—

(क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर आने वाली बाध्यताओं को पूरा करने में कोई भी विचलन या संभावित विचलन;

(ख) ऐसे उपचारी उपाय जिन्हें करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है।

10. **नियम बनाने की शक्ति.**— (1) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह प्ररूप, जिसमें मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण तैयार किया जायेगा;

(ख) राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण का प्ररूप;

(ग) ऐसे विवरण का प्ररूप, जिसमें राज्य सरकार धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन प्रकट किये जाने के लिए अपेक्षित सूचना प्रकट करेगी;

(घ) धारा 8 के अधीन गठित समिति के सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों और समिति के कृत्य और कर्तव्य;

(ङ) धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन पुनर्विलोकन रिपोर्ट का प्ररूप;

(च) धारा 6 में प्रगणित लक्ष्यों का अनुपालन कराने के लिए उपाय;

(छ) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या किया जाये।

11. **नियमों का विधान—मण्डल के समक्ष रखा जाना.**— इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान—मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उस सत्र, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व, राज्य विधान—मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित, रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण तदधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
12. **सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.**— इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।
13. **अन्य विधियों के लागू होने का वर्जन न होना.**— इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में।
14. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.**— (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान—मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।